प्रेस विज्ञप्ति

01.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक ईकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पूर्व उप-उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) के तहत 01.06.2026 को नगर निगम, पंचकुला के तहत गिरफ्तार किया है।

ईडी ने इस मामले में मुख्य रूप से एसीबी, पंचकुला, हरियाणा द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पीसी एक्ट, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर से पता चलता है कि अज्ञात बैंक अधिकारियों द्वारा गहरी जड़ें जमाए, सुसंगठित आपराधिक साजिश के तहत नगर निगम, पंचकुला के 145 करोड़ रुपये के फंड का गबन किया गया है।

पीएमएलए द्वारा अब तक की गई जाँच से पता चला है कि नगर निगम के अधिकारी, बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के एक निकट आपराधिक साँठगाँठ ने सरकारी धन के गबन की साजिश रची थी। प्रथम दृष्टया जाँच से पता चला है कि दिलीप कुमार राघव (ग्राहक संबंध प्रबंधक, कोटक महिंद्रा बैंक) ने पुष्पेंद्र सिंह (उप उपाध्यक्ष, कोटक महिंद्रा बैंक) के साथ मिलकर विकास कौशिक (पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एमसी, पंचकूला) के समर्थन में नगर निगम, पंचकूला के नाम पर जाली और नकली प्राधिकरण दस्तावेजों के माध्यम से दो बैंक खाते खोले। एमसी, पंचकूला के वास्तविक खातों में उपलब्ध धन को एमसी, पंचकूला के नाम पर जाली और नकली निधि प्रवासन प्राधिकरण पत्रों का उपयोग करके अनधिकृत और अवैध खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, आपराधिक साँठगाँठ द्वारा एमसी, पंचकूला के नाम पर खोले गए अनधिकृत बैंक खातों में अवैध रूप से स्थानांतरित धन का उपयोग रजत दह्वा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार, विनोद कुमार जैसे फाइनेंसरों को आगे हस्तांतरण के लिए किया गया था। जाँच से पता चला है कि ये फाइनेंसर पुष्पेंद्र सिंह के नियंत्रण और निर्देशों के तहत काम कर रहे थे। रजत दह्वा और स्वाति तोमर के बैंक खाते, जिनका उपयोग एमसी पंचकूला के अधिकांश धन के गबन के लिए किया गया था, वे भी पुष्पेंद्र सिंह के नियंत्रण में थे। इसके अलावा, एमसी, पंचकूला के नाम पर रखे गए नकली बैंक खातों से फाइनेंसरों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त इन निधियों को वापस पुष्पेंद्र सिंह और प्रीति ठाकुर (पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी) को भेज दिया गया था। ऐसे धन को पुष्पेंद्र सिंह के निर्देशों पर रियल एस्टेट फर्मों और अन्य निजी व्यक्तियों को भी हस्तांतरित किया गया था।

माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पंचकुला ने 09.06.2026 तक 9 दिनों के लिए उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जाँच जारी है।